राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,

अति आवश्यक

क्रमांकः– एफ 20(6)(18)निमअ / बजट / 2018–19 / 96335-429 जयपुर, दिनांकः– 12/09/18

1. अतिरिक्त निदेशक (कार्यालयाध्यक्ष) म.अ.
2. सहायक निदेशक,
   महिला अधिकारिता,
   समस्त।
3. सदस्य सचिव,
   राजस्थान राज्य महिला आयोग।

विषय :–आगामी वित्तीय वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक अनुमान एवं वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नियमित प्रक्रिया के अधीन प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को सुनिश्चित समयावधि में तैयार कर प्रेषित करने हैं। अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आय–व्ययक अनुमान तैयार करने से पूर्व आय–व्ययक नियमावली के अध्याय 10 तथा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.4(30)वित्त–1(1)आ.व्य. / 2018 दिनांक 04.09.2018 द्वारा जारी परिपत्र (प्रति वित्त विभाग की वेबसाईट, बजट डिवीजन से डाउन लोड करें) में दिये गये निर्देशों के अनुसार **प्रपत्र 1 से 13 की सूचना तैयार कर अनिवार्य रूप से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से दिनांक 24.09.2018 तक** आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

विवरण की सत्यता के लिए कार्यालयाध्यक्ष इस आशय का प्रमाण–पत्र देवें "प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है"।

उपरोक्त कार्य को सर्वोपरि प्राथमिकता प्रधान करते हुए कार्यालयाध्यक्ष यह देख लें कि **बजट के प्रस्ताव वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(18)वित्त–1(1)आ.व्य. / 2018 दिनांक 04.09.2018** द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप वांछित सूचनाओं सहित पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर IFMS की साईट पर ONLINE FORWARD करते हुए HARD COPY निर्धारित तिथि को निदेशालय आपके कार्यालय में कार्यरत सहायक

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,

लेखाधिकारी/संबंधित डीलिंग कर्मी के साथ व्यक्तिशः भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि IFMS में दर्ज आंकडों का मिलान करवा सके। संवेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय, वाहनों का किराया आदि मदों के अनुमान/संशोधित अनुमान पूर्ण औचित्य के साथ भिजवायें। आपके द्वारा प्रेषित बजट प्रस्ताव किसी प्रकार से अपूर्ण पाये गये, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपके कार्यालय का होगा।

आय–व्ययक अनुमान 2019–20 एवं संशोधित अनुमान 2018–19 निदेशालय में प्रस्तुत करने का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

क्र.सं.	दिनांक	कार्यालय सहायक निदेशक /राजस्थान राज्य महिला आयोग/ निदेशालय महिला अधिकारिता
1	25.09.2018	**सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग**
2	26.09.2018	जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुन्झुनु,
3	27.09.2018	बून्दी, धौलपुर, कोटा, झालावाड़, बांरा
4	28.09.2018	जोधपुर, बाडमेर, प्रतापगढ, भरतपुर, करौली
5	01.10.2018	जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, सवाईमाधोपुर
6	03.10.2018	बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ,
7	04.10.2018	उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ, डूंगरपुर,
8	05.10.2018	अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाडा, अति0 निदेशक (मुख्यालय)

वित्तीय सलाहकार
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर

क्रमांकः– एफ 20(6)(18)निमअ/बजट/ 2018–19/96430 जयपुर, दिनांकः– 12/09/18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु। 17/09/18
2. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर